

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**

“ए” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष-0141-2740239, फेक्स-0141-2742309, ई मेल: [jacct.dta@rajasthan.gov.in](mailto:jacct.dta@rajasthan.gov.in)

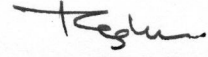
क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-III/6451

जयपुर दिनांक :- 29/12/2020

**आदेश संख्या: 26/2020-21**

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्न कनिष्ठ लेखाकार को कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से आदेशों की प्रतीक्षा में लेते हुए कॉलम संख्या 05 में अंकित कार्यालय में तुरन्त प्रभाव से पदस्थापन किया जाता है :-

| क्र. सं. | लिंक नम्बर | नाम (सर्वश्री) | आदेशों की प्रतीक्षा से पूर्व पदस्थापित कार्यालय का नाम | नव पदस्थापन कार्यालय का नाम | आदेशों की प्रतीक्षा में लिये जाने की तिथि | विशेष विवरण |
|----------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1        | 2          | 3              | 4                                                      | 5                           | 6                                         | 7           |
| 1.       | 12786      | सुभाष चन्द जाट | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमथुरा (धौलपुर)          | कोषालय, धौलपुर              | 23.12.2020 (मध्याह्न पूर्व)               | रिक्त पद पर |



(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)

निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/एपीओ/अलेसे-III/6451

जयपुर दिनांक :- 29/12/2020

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. संबंधित कोषाधिकारी .....
4. श्री/श्रीमती/सुश्री.....कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय.....  
.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवपदस्थापन कार्यालय में आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फेक्स अथवा विभागीय ई मेल [jacct.dta@rajasthan.gov.in](mailto:jacct.dta@rajasthan.gov.in) पर इस विभाग को भिजवाये ।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय ।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस (कॉईन्स) पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)